न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 48/2014

उनवान

1 मोहनपुरी पिता शम्भुपुरी गुसाई, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
2 श्रीमति राधा पुत्री लादुपुरी गुसाई निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
3 गोपालपुरी पिता लादुपुरी गुसाई, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
4 प्रहलादपुरी पिता लादुपुरी गुसाई, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
5 श्रीमति जीया पुत्री लादुपुरी पत्नि सुरेशपुरी गुसाई, नि0आगुचा, चैनपुरियॉ तहसील हुरडा ।
6 श्रीमति इन्द्रा पुत्री लादुपुरी पत्नि कैलाशपुरी गुसाई, निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला– अजमेर (राज0)
7 श्रीमति गुमानी पुत्री लादुपुरी पत्नि हरफूलपुरी गुसाई, निवासी मुंडेता तहसील शाहपुरा जिला– भीलवाडा
8 श्रीमति शीला पुत्री लादुपुरी पत्नि रामपुरी गुसाई, खाडरा तहसील सरवाड जिला अजमेर ।
9 श्रीमति कन्या पुत्री लादुपुरी पत्नि सत्यनारायणपुरी गुसाई, निवासी चैनपुरियॉ, तहसील हुरडा
10 श्रीमति गमला पत्नि मदनपुरी गुसाई , निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा।
11 श्रीगौरी शंकर पुत्र मदनपुरी गुसाई, ना.बा.व.बि. माता श्रीमति गमला पत्नि मदनपुरी निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
12 आशाराम पुत्र मदनपुरी गुसाई ना.बा. व.बि. माता श्रीमति गमला पत्नि मदनपुरी गुसाई निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 नन्दपुरी पिता केसरपुरी गुसाई, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
2 रुघनाथपुरी पिता केसरपुरी गुसाई, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
3 सम्पतपुरी पिता बंशीपुरी गुसाई , निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
4 सॉवरपुरी पिता वंशीलपुरी गुसाई, गोदपुत्र बालुपुरी निवासी देवलियॉ कलां तहसील भिनाय जिला–अजमेर ।

प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता — वकील वादी
श्री विश्वद्वीप सिंह — वकील प्रतिवादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 92 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

Scanned by CamScanner

1 वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा आगूँचा तहसील हुरडा में मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 1969–1972 में प्रतिवादीगण के खाते में आराजी नम्बर– 3423, 3424, 3482, 3483, 3484, 3485, किता 6 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा आराजी स्थित है।

2 उक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर मौरुस शम्भूपुरी पिता केसरपुरी के समय की है ।

3 वादपत्र में वर्णित आराजी शम्भूपुरी व केसरपुरी के समय की होने से इसमें उक्त सजरे की रुहें से वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से के अनुसार शम्भूपुरी व केसरपुरी के समय उनका व उनकी मृत्यु के बाद लगातार कमशः उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण के लगातार कब्जा व उपयोग चला आ रहा है ।

4 केसपुरी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण ने उक्त सम्पूर्ण आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी के बजाय पुरी आराजी को अपने खाते में दर्ज करा ली जो इस समय प्रतिवादीगण के खाते मे है जबकि उक्त आराजी में 1/2 हिस्से की आराजी विरासत के आधार पर वादीगण के खाते में व 1/2 हिस्से की आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज होना चाहिये था ।

5 उपरोक्त कारणों से वादीगण उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है जिसके लिये वो प्रतिवादीगण के खिलाफ खातेदारी हक की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है ।

6 वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने बाबत कई बार निवेदन किया जिस पर उन्होनें कहा कि उक्त आराजी को कभी भी तुम्हारे नाम पर दर्ज करा देगें तथा इस पर तुम्हारा कब्जा होने से भी तुम्हारे को कोई परेशानी नही है । वादीगण प्रतिवादीगण के विश्वास में रहे इस कारण अब तक इस और कोई ध्यान नही दिया गया मगर उन्होंने बिल अखिर दिनांक 15.10.2013 को 1/2 हिस्से की आराजी को वादीगण के खाते में दर्ज कराने के लिये इन्कार कर दिया इसलिये उक्त वाद प्रस्तुत करने की नोबत पेश आई ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

7 उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज होने से वो वादीगण के 1/2 हक हिस्से की आराजी में नाजायज तौर हस्तक्षेप करने कराने व उक्त आराजी को अपने नाजायज प्रलोभन के आधार पर दिगर को विक्रय / अन्तरण करने कराने पर उतारु है और मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर उतारु होते है और यह रवैया भी उन्होने दिनांक 15.10.2013 से जारी कर रखा है जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादीगण को ऐसी असहनीय क्षति का सामना

Scanned by CamScanner

करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव है ।

8 वादीगण को बिनाय मुखासमत दावा दिनांक 15.10.2013 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

9 अन्त में अंकित किया कि आराजी मुतदाविया मुनदर्जे वादपत्र की कलम नम्बर– 1 में से 1/2 हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहस वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें । बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वो स्वयं या अन्य द्वारा वादीगण के 1/2 हक हिस्से की आराजी की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने व उक्त आरजी को दिगर को विक्रय / अन्तरण व उसका पंजीयन करने कराने से रुके रहें। यदि दौराने कार्यवाही मुकदमा प्रतिवादीगण इसमें सफल हो जावे तो पुनः उनके खर्चे से उक्त आराजी की आज की स्थिति रेस्टोर कराई जावें ।

10 प्रस्तुत वाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 16.09.2016 को जवावदावा प्रस्तुत किया गया ।

11 प्रकरण में वादपत्र व जवाजदावा के आधार पर दिनांक 26.02.2018 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं.–1	आया वादपत्र की कलम नम्बर7 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरुसी होकर शम्भूपुरी केसरपुरी के समय की है ।	–वादी
तनकी नं.–2	आया आराजी मुतदाविया पर वादीगण का 1/2 व प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से से शम्भूपुरी , केसरपुरी के समय से काविज काश्त चले आ रहे है ।	–वादी
तनकी नं.–3	आया वादीगण आराजी मुतदाविया में से 1/2 हिस्से की आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं.–4	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 7 में वर्णित कारणों से वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं.–5	आया विवादित आराजीयात कभी भी शम्भूपुरी के नाम पर नही रही है और न ही वादीगण का कब्जा काश्त रहा है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.–6	अनुतोष ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

12 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुँचा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में

Scanned by CamScanner

अंकित तथ्यों को दोहराते हुये , अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम घोषित फरमाया जावें ।

13 जबकि वकील प्रतिवादीगण का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात कभी भी शम्भूपुरी के नाम पर नही रही है , मेवाड स्टेट के वक्त से ही केसरपुरी पुत्र मोडपुरी के नाम दर्ज थी । तथा केसरपुरी की मृत्यु के बाद विरासत से उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है । वादग्रस्त आराजीयात आज दिन तक वादीगण व उनके पूर्वज शम्भूपुरी के नाम दर्ज नही रही है और नही न ही वादीगण आज दिन तक उक्त आराजीयात पर काबिज रहे है । जिससे वादीगण ने झूठे एवं मनगडत तथ्यों पर यह झूठा वाद पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें ।

14 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तकनीवार विवेचन निम्न प्रकार से है–

15 <u>तनकी नं.–1 व 2</u> इन तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादी पर है । यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । इन तनकीयों के समर्थन में वादी के द्वारा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 सेटलमेन्ट का खसरा सम्वत् 2022 तथा उदयपुर मेवाड की जमाबन्दी साल 1982 प्रस्तुत की गई । जिस अनुसार हाल जमाबन्दी मौजा आगुंचा सम्वत् 2069–'72 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 3423, 3424, 3482, 3483, 3484, 3485 किता 6 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि नन्दपुरी, बंशीपुरी, रघुनाथपुरी पिता केसरपुरी गुसाई साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । उक्त वादग्रस्त आराजीयात सेटलमेन्ट के खसरा सम्वत् 2022 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 659 मी. व 668 मी. से बनाया जाना स्पष्ट हुआ है । पत्रावली पर उपलब्ध महकमें बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर की जमाबन्दी साल 1982 के अनुसार केसरपुरी वल्द मोडपुरी गुसाई साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। वादीगण के द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि साल 1982 के खातेदार केसरपुरी से उनका किस प्रकार से सम्बन्ध है और न ही वादीगण के द्वारा केसरपुरी को अपने सजरे में वर्णित किया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की मौरुसी आराजीयात व उनके मौरुस शम्भूपुरी की नही मानी जा सकती तदनुसार इन तनकीयों का निर्णय वादी के विरुद्ध किया जाता है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

16 <u>तनकी नं.–3</u> इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है । जैसा कि उपर तनकीयों में विवेचन किया जा चूका है, वादग्रस्त आराजीयात महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर के अनुसार केसरपुरी वल्द मोडपुरी के खातेदारी की रही है । उक्त आराजीयात में वादीगण के मौरुस शम्भूपुरी का कोई हक हिस्सा स्वतं प्रकट नही होने से वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्से के लिये

Scanned by CamScanner

हक घोषणा करनवाने के अधिकारी नही पाये जाते है । तदनुसार इस तनकी का निर्णय वादी के विरुद्ध किया जाता है ।

17 **तनकी नं.–4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है । पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 वादग्रस्त आराजी नम्बर– 3423, 3424, 3482, 3483, 3484, 3485 किता 6 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि नन्दपुरी, बंशीपुरी , रघूनाथपूरी पिता केसरपुरी के खातेदारी की है । ऐसी स्थिति में खातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायसंगत नही होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है ।

18 **तनकी नं.–5** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण के द्वारा कोई साक्ष्य तो पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया , किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध जो महकमें बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजीयात केसरपुरी वल्द मोडपुरी की खातेदारी की रही है और विरासत से प्रतिवादीगण के मौरुस के नाम दर्ज हुई है साथ ही वादीगण के द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है जिससे यह माना जा सके कि विवादित आराजीयात उनके मौरुस शम्भूपुरी के नाम रही हो , तदनुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

19 **तनकी नं.–6** इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है , तदनुसार दावा वादी खारिज योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी खारिज किया जाता है । तदनुसार डिकी मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगुंचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner